अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 16(16)(5)परि/लेखा/राजस्व/ई–ग्रास/2015/ 14423 जयपुर, दिनांक 29-7-2015

आदेश संख्या 24/2015

राज्य सरकार, वित्त (ई.ए.डी.)विभाग के परिपत्र दिनांक 01.11.2012 के अनुसार सरकारी राजस्व जमाएं E-Gras के माध्यम से करने की व्यवस्था लागू की गई थी। जिसका उद्देश्य जमाकर्त्ता को इलेक्ट्रोनिक चालान अथवा इन्टरनेट बैकिंग के माध्यम से किसी भी स्थान पर किसी भी समय राशि जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस संबंध में पूर्व में विभागीय आदेश संख्या 6/2013 दिनांक 10.4.2013 द्वारा परिवहन विभाग में वाहन स्वामियों/विक्रेताओं द्वारा ई–चालान से जमा कराई जाने वाली राशि 30,000 रूपये अथवा इससे अधिक की समस्त जमाएं ई–चालान के माध्यम से जमा कराई जा रही है। विभागीय आदेश 6/2013 दिनांक 10.4.2013 की निरन्तरता में दिनांक **17.08.2015 से राशि 5000 रूपये अथवा इससे अधिक की समस्त जमाएं ई–चालान के माध्यम से अनिवार्य होगी।**

राजस्व राशि निम्न परिस्थितियों को छोडकर ई–मित्र/ई–ग्रास, नेट बैकिंग के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा की जावें।

1. विभागीय निरीक्षक/उप निरीक्षक सी.एफ.(प्रशमन राशि) की राशि नकद में जमा करा सकेगें।
2. वाहनों के अग्रिम नम्बरों की नीलामी से प्राप्त राशि।
3. विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए छूट देने हेतु प्रा.प.अ./जि.प.अ. सक्षम होगें।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 16(16)(5)परि/लेखा/राजस्व/ई–ग्रास/2015/14424-29 जयपुर, दिनांक 29-7-20

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राज0 सरकार।
2. विशिष्ट सहायक माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राज0 सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर।
5. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा0)।
6. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.........................को भेज कर लेख है कि उक्त आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने अधीन कार्यालयों में आमजन/वाहन मालिकों/डीलर्स हेतु उपयुक्त जगह प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करावें।

29/7/15

(सुरेश सिंघल)
वित्तीय सलाहकार